रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-16032024-253130 CG-MH-E-16032024-253130

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945 No. 1310] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 13 मार्च, 2024

का.आ. 1376(अ) .—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20 'च' की (उप धारा-6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को नियुक्त करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है। सक्षम अधिकारी की यह नियुक्ति उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले जो कि महाराष्ट्र राज्य में "सोलापुर-तुलजापुर- उस्मानाबाद नई लाइन परियोजना" के संबंध में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के परियोजना से संबंधित है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
1	उप आयुक्त (करमणूक शुल्क), पुणे विभाग, पुणे	सोलापूर

[फा. सं.: G197/SUR-UMD/2024/SPL/Mar/Arbitrator] अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

1977 GI/2024 (1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th March, 2024

S.O. 1376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of **Solapur Osmanabad new BG line via Tuljapur** in the state of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S. No	Of	ficer	District
1.	Dy. Commissioner (Enterta	inment Duty), Pune Division,	Solapur
	P	une	

[F. No.: G197/SUR-UMD/2024/SPL/Mar/Arbitrator] AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)